

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़
आदेश पत्रक

सी०री०ए० (जिला बदर) नाद संख्या-114/2024
राज्य बनाम् गुड्डु राजवंशी उर्फ गुड्डू उर्फ केस्टो

आदेश की क्रमांक
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

-- आदेश --

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ का ज्ञापक 523/डी०री०बी०, दिनांक-22.10.2024 द्वारा अपराधकर्मी गुड्डु राजवंशी उर्फ गुड्डू उर्फ केस्टो, पे०-राम स्वरूप राजवंशी, सा० पतरातू रेलवे फाटक के पास, थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 के अध्याय-02 की धारा-3(3) के तहत जिला निष्कासन करने से संबंधित प्रस्ताव अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। अभियुक्त को उनका पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस तामिला के पश्चात् भी अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और ना ही उनके तरफ से कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इससे यह प्रतीत होता है कि उन्हें उनके उपर लगाये गए आरोप से बचाव के लिए कुछ नहीं कहना है। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक व निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित कराने हेतु अपराध नियंत्रण अधिनियम के मामले पर त्वरित कार्यवाही अति आवश्यक है। अतः अधिनियम-2002 की धारा-3(2) के आलोक में यह विश्वास करने का आधार है कि उनको और अधिक समय देना उक्तीकरण या विलंब के उद्देश्य से किया जाना होगा। राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुना।

उपरोक्त के आलोक में इस न्यायालय के सम्मुख तीन मुख्य विचारणीय प्रश्न है।

1. क्या झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा-3(1) (a) के आलोक में विपक्षी असामाजिक तत्व है?
2. क्या झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(1)(b)(i) अथवा 3(1)(b)(ii) की शर्तें पूरी हो रही है?
3. क्या विपक्षी को जिला बदर का आदेश देने का reasonable ground है?

Sec 3. Externment etc. of anti- social elements. -

(1) Where it appears to the District Magistrate that-

(a) Any person is an anti-social element; and

a

- (b) (i) that his movements or acts in the district or any part thereof are causing or calculated to cause alarm, danger or harm to persons or property; or
(ii) that there are reasonable grounds for believing that he is engaged or about to engage, in the district or any part thereof, in the commission of any offence punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code, or under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 or abetment of such offence;

अभियुक्त ठिकेदारों/व्यवसायियों/ट्रांसपोर्टर्स तथा सी०सी०एल० के पदाधिकारियों/कर्मियों आदि से रंगदारी माँग एवं अवैध पिस्तौल रखने हेतु जैसे गंभीर काण्डों में आरोपित रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध अपराधिक इतिहास करने जैसे गंभीर काण्डों में आरोपित रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

1. पतरातू थाना काण्ड संख्या 328/2018 दिनांक-31.10.2018, धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।
2. पतरातू थाना काण्ड संख्या-87/2020 दिनांक-06.05.2020, धारा-385/386/387/506/34 भा०द०वि० एवं 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।
3. पतरातू थाना काण्ड संख्या-88/2020 दिनांक-09.06.2020, धारा-323/341/384/385/387/34 भा०द०वि०।
4. पतरातू (भुरकुण्डा) थाना काण्ड संख्या-03/2021 दिनांक-07.01.2021, धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।
5. पतरातू थाना काण्ड संख्या-222/2022, दिनांक-06.12.2022, धारा-386/387/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट।
6. पतरातू (भुरकुण्डा) थाना काण्ड संख्या-225/2022 दिनांक-07.12.2022, धारा-385/387/37 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट।

उक्त अपराधिक इतिहास से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध कई संगीन मामले दर्ज हैं।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विरुद्ध कई मामले में सनहा भी दर्ज है। जिसकी विवरणी निम्न है :-

1. पतरातू थाना सनहा संख्या-15/2024, दिनांक-12.10.2024
2. पतरातू थाना सनहा संख्या-16/2024, दिनांक-16.10.2024
3. पतरातू थाना सनहा संख्या-18/2024, दिनांक-13.09.2024
4. पतरातू थाना सनहा संख्या-24/2024, दिनांक-03.10.2024

जिसमें इनके उपर ठिकेदारों/व्यवसायियों/ट्रांसपोर्टर्स तथा सी०सी०एल० के पदाधिकारियों/कर्मियों इत्यादि को धमकाने और रंगदारी माँगने की सूचना दर्ज है। तथा ये भी अंकित है कि विपक्षी प्राण्डेय गिरोह का सक्रिय सदस्य है तथा भयादोहन करने व रंगदारी माँगने का कार्य करता

है। पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इनके प्रभाव क्षेत्र में इस संगठन का लोगों के बीच इतना खौफ बना हुआ है कि इन लोगों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है और न ही गवाही देने के लिए हिम्मत जुटा पाता है, जिसके कारण इनके द्वारा क्षेत्र में आसानी से घटना को अंजाम दिया जाता है। ये जमानत पर मुक्त होते ही अपनी दुगुनी तर्ज के साथ अपराधिक कृत्यों में शामिल हो जाता है।

असामाजिक तत्व की परिभाषा झारखण्ड अपराध निरोधन अधिनियम 2002 के धारा के 2(d) में दी गयी है जिसके अनुसार :-

"Anti-social element" means a person who-

- (i) either by himself or as a member of or leader of a gang, habitually commits or attempts to commit or abets the commission of offences punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code; or
- (ii) habitually commits or abets the commission of offences under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956;
- (iii) who by words or otherwise promotes or attempts to promote, on grounds of religion, race, language, caste or community or other grounds whatsoever, feelings of enmity or hatred between different religions, racial or language groups or castes or communities; or
- (iv) has been found habitually passing indecent remarks to, or teasing women or girls; or
- (v) who has been convicted of an offence under sections 25, 26, 27, 28 or 29 of the Arms Act of 1959.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य 1984 में habitual अभिव्यक्ति की व्याख्या की गई है।

"Habitual means a thread of continuity stringing together similar repetitive acts and not some isolated, individual and "dissimilar" acts. The expression "habitually" means "repeatedly" or "persistently"

उपर उल्लेखित विपक्षी के अपराधिक इतिहास से स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष गैंग के सदस्य के रूप में IPC Chapter XVI & XVII के अपराधों को habitually commit करते हैं एवं ठेकेदारों से रंगदारी वसूलना तथा उसके लिए भयादोहन करने का कार्य करते हैं। पतरातू थाना काण्ड संख्या-87/2020 के दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनके उपर अवैध हथियार के साथ पकड़े जाने का गंभीर आरोप है। ये वर्तमान में न्यायिक हिरासत से जमानत पर मुक्त है।

अतः a thread of continuity stringing together similar repetitive acts हैं। और यदि इसमें कोई भी gap apparent प्रतीत होता है तो वो प्रायः इसलिए है कि विपक्षी उस दौरान न्यायिक हिरासत में था। विपक्षी के द्वारा कारण पृच्छा अथवा बहस में इसके विपरीत कोई दलील या साक्ष्य भी नहीं दिया गया है। अतः निःसंदेह Sec 2(d) के आलोक में विपक्षी अस्वामाजिक तत्व है।

उपर उल्लेखित तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी के "movements or acts in the district or any part thereof are causing or calculated to cause alarm, danger or harm to persons or property; जो धारा 3(1) (b) (i) के शर्तों को भी पूरा करता है।

अपराधिक इतिहास और दर्ज सनहा से स्पष्ट है कि "that there are reasonable grounds for believing that he is engaged or about to engage, in the district or any part thereof, in the commission of any offence punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code," जो 3(1) (b) (ii) की शर्तों को भी पूरा करता है। साथ ही विधानसभा निर्वाचन-2024 को शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त सम्पन्न करने हेतु इन पर जिला बदर की कार्रवाई करना आवश्यक है। अभियुक्त के अपराधिक इतिहास और पतरातू थाना सनहा संख्या-15/2024, 16/2024, 18/2024 एवं 24/2024 के आलोक में विश्वास करने का समुचित आधार है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसी एक विशेष राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए अपने प्रभाव, वर्चस्व एवं भय का प्रयोग कर सकते हैं।

अतः विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रागगढ़ के द्वारा बहस के दौरान दिये गये मंतव्य एवं पुलिस अधीक्षक, रागगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशंसा से सहमत होते हुए विधि व्यवस्था/लोक शांति बनाए रखने तथा अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधिक गुड्डु राजवंशी उर्फ गुड्डू उर्फ केस्टो, पे०-राग स्वरूप राजवंशी, रा०-पतरातू रेलवे फाटक के पास, थाना-पतरातू, जिला-रागगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के अध्याय-02 की धारा-3(3) के तहत निम्न आदेश दिया जाता है :-

1. अभियुक्त को 03 महीने अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिए रागगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से **निष्कासन (जिला बदर)** का आदेश दिया जाता है। अभियुक्त आदेश प्रारित करने के 24 घंटे के भीतर जिले की सीमा को छोड़ देंगे एवं 03 महीने अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश नहीं करेंगे।
2. यदि कोई अनुज्ञप्ति (Licence) धारित शस्त्र है तो अविलम्ब उसी स्थानीय थाने में जमा करावेंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करेंगे।

u

3. अभियुक्त को केवल मतदान के दिन के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु रायगढ़ जिला अंतर्गत मतदान केन्द्र तक जाने की छूट इस शर्त पर दी जाती है कि वे संबंधित थाना प्रभारी को अपने आवागमन को 24 घंटे पूर्व ही सूचित कर देंगे। तदोपरांत वह पुनः उपरोक्त आदेश के अनुपालन निमित्त जिला की सीमा से बाहर चले जाएंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु समझा जाय। इस आदेश का उल्लंघन झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-25 तथा भारतीय दण्ड संहिता, इत्यादि के अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा। आदेश की प्रति अग्रैतर आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ को भेजें। इसी आदेश के साथ वाद निस्तार किया जाता है।

Chanday
21/11/24

उपायुक्ता-राह-जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़।